

201613  
पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित  
PO सहव दीगर कार्य में ~~वक्त~~ है  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/12/24  
को पेश करें।  
L

24/12/24 वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार के  
से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अहम वकील  
शुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली फ़ांका  
को पेश है।

81 07 2024 पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। बहस वकील प्रार्थी सुनी  
थी, पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार  
नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम टोडा के भूमि ख  
संख्या 96 की खातेदारी में अन्य सहखातेदारान के साथ प्रार्थी का  
बनवारी पुत्र मंगला दर्ज होना पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र  
बनवारी नाम के स्थान पर बन्नाराम तथा व ग्राम रामल्यास के स्थान  
ग्राम टोडा बाबत् दुरुस्ती चाही गयी है। नाम गलत होने में लिपि  
त्रुटि किस स्तर पर हुयी है, प्रार्थी प्रमाणित करने में असफल रहा  
रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के मुताबिक भी प्रार्थी का प्रार्थना  
रिकार्ड दुरुस्ती बाबत् नहीं होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बा  
रिकार्ड दुरुस्ती का होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारि  
किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो  
दाखिल दफ़तर हो।



निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना

